



कार्यालय मुख्य आयुक्त
Office of the Chief Commissioner
सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर
CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur

फा.सं. GCCO/II/12/2025-ADMN

स्थापना आदेश सं. : 38/2025

दिनांक : 29.08.2025

सीजीएसटी एवं के.उ.शु., जयपुर जोन द्वारा फा.सं. II-31(03)CCU/JZ/2025 दिनांक 24.04.2025 के अंतर्गत जारी ज्ञापन की अनुपालना में हवलदार के पद पर अनंतिम आधार पर नव नियुक्ति के फलस्वरूप, **हवलदार** श्रेणी में निम्नानुसार आवंटन/ पदस्थापना आदेश तत्काल प्रभाव से और अग्रिम आदेशों तक जारी किये जाते हैं:-

क्रम सं.	हवलदार का नाम (श्री)	जन्मतिथि	कहाँ से	कहाँ को
1.	कामता कुमार	01.07.1978	कार्यग्रहण पर	सीजीएसटी, जयपुर
2.	चंदू लाल	25.06.1986	कार्यग्रहण पर	सीमा शुल्क

2. उपरोक्त हवलदारों को दिनांक 29.08.2025 (अपरान्ह) में कार्यमुक्त कर निर्देश दिए जाते हैं की वे अपने नाम के सम्मुख दर्शाए गए आयुक्तालय में कार्यग्रहण करें। चूँकि यह आवंटन नव नियुक्ति पर किया जा रहा है, अतः उन्हें कोई स्थानान्तरण भत्ता एवं कार्यग्रहण अवधि देय नहीं होगी।

यह आदेश मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी एवं के.उ.शु., जयपुर जोन की संस्वीकृति से जारी किये जा रहे हैं।

(निष्ठा शर्मा)
संयुक्त आयुक्त

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. प्रधान आयुक्त/ आयुक्त, सीजीएसटी एवं के.उ.शु., जयपुर/ सीमा शुल्क, जोधपुर (मु. जयपुर)।
2. वेतन एवं लेखाधिकारी, सीजीएसटी एवं सीमा शुल्क, जयपुर।
3. सम्बंधित अधिकारी।
4. गार्ड फ़ाइल/ नोटिस बोर्ड
5. वेबमास्टर - जोनल वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

नव केंद्रीय राजस्व भवन, स्टेच्यू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर - 302005 (राजस्थान)

फोन: 0141-2385155; फैक्स: 0141-2385130, ईमेल: ccu-cexjpr@nic.in,

वेबसाइट: www.cgstjaipur.gov.in, ट्विटर (X): @CGSTJAIPURZONE